राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक 0003/अ-19(3)/2018-19

(1)	(2)	(3)
04-01-2019	प्रकरण तहसीलदार देवास की ओर से जांच उपरांत प्रतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास के माध्यम से प्राप्त। प्रकरण का परीक्षण किया गया। प्रकरण में मुख्य रूप से यह तथ्य प्रस्तुत किया गये है कि इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19(3)/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2018 अनुसार ग्राम खटाम्बा, पटवारी ह.क्र. 52 स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 197/1 रकबा 12.520 हे. व सर्वे क्रमांक 197/2 रकबा 19.920 हे. में से 5.870 हे. भूमि मद क्रमशः चरनोई, पहाड़ व शासकीय उर्जा विकास विभाग की भूमि पटपड़ी बाघ में डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु आदेश हुए हैं। भूमि सर्वे क्रमांक 197/1 रकबा 12.520 हे. में से 4.000 हे. कार्यालय कलेक्टर(खनिज) जिला देवास के आदेश क्रमांक 2580/उ.प./खनिज/फा.न. 710/2017 दिनांक 24.11.2017 रकबा 3.000 हे., आदेश क्रमांक 200/उ.प./खनिज/फा.न. 709/2018 दिनांक 19.01.2018 से रकबा 3.000 हे. एवं आदेश क्रमांक 441/मूरम लीज/ /खनिज/फा.न. 708/2018 दिनांक 23.03.2018 अनुसार खनिज पट्टेदार क्रमशः श्री भारत, श्री प्रेम, श्री कैलाश चौहान पिता बिहारीलाल चौहान को मूरम उत्खनन हेतु आवंटित हुई है। उक्त परिस्थिति में न्यायालयीन आदेश दिनांक 16.08.2018 के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 197/1 पर अमल किये जाने में असमंजस की स्थिति है। भूमि सर्वे कमांक 197/2 रकबा 19.920 हे. में से 5.870 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित हुई है। यदि उक्त आवंटन के स्थान पर सर्वे क्रमांक 197/2 कुल रकबा 19.920 हे. में से रकबा 18.390 हे. (5.870 + 12.520) वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है, तो उक्त दोनों आदेश का राजस्व अभिलेख में विधिवत पालन हो सकेगा। उक्त आधारों पर से तहसीलदार देवास एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) देवास के प्रतिवेदन दिनांक 31.12.2018 द्वारा ग्राम खटाम्बा, पटवारी हल्का नं. 52, तहसील देवास में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 197/2 रकबा 19.920 हे. में से रकबा 18.390 हे. भूमि वन विभाग को पटपड़ी बांध में डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गयी है।	

निरन्तर पृष्ठ क्रमांक 1

मामला क्रमांक 0002/अ-19(3)/2018-19

चूंकि भूमि सर्वे कमांक 197/1 रकबा 12.520 हे. में से 4.000 हे. कार्यालय कलेक्टर(खनिज) जिला देवास के आदेश कमांक 2580/उ.प./खनिज/फा.न. 710/2017 दिनांक 24.11.2017 रकबा 3.000 हे., आदेश कमांक 200/उ.प./खनिज/फा.न. 709/2018 दिनांक 19.01.2018 से रकबा 3.000 हे. एवं आदेश कमांक 441/मूरम लीज/ /खनिज/फा.न. 708/2018 दिनांक 23.03.2018 अनुसार खनिज पट्टेदार कमशः श्री भारत, श्री प्रेम, श्री कैलाश चौहान पिता बिहारीलाल चौहान को मूरम उत्खनन हेतु आवंटित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 0021/अ-19(3)/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2018 में उल्लिखित ग्राम खटाम्बा, पटवारी ह.क. 52 स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 197/1 रकबा 12.520 हे. व सर्वे कमांक 197/2 रकबा 19.920 हे. में से 5.870 हे. के स्थान पर तहसीलदार देवास तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास के प्रतिवेदन दिनांक 31.12.2018 के आधार पर ग्राम खटाम्बा, पटवारी हल्का नं. 52, तहसील देवास में स्थित भूमि सर्वे कमांक 197/2 कुल रकबा 19.920 हे. में से रकबा 18.390 हे. (5.870 + 12.520) भूमि वन विभाग को पटपड़ी बांध में डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237(3) के तहत प्रदान की जाती है।

इस आदेश की प्रति वनमंडलाधिकारी, वन मण्डल (सामान्य) देवास, एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग देवास को भेजी जावे तथा प्रकरण तहसीलदार देवास को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि वें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त मूल प्रकरण इस न्यायालय को लोटावें।

कलेक्टर,
जिला देवास (म.प्र.)

प्रति,
तहसीलदार,
देवास

न्यायालय कलेक्टर जिला देवास म०प्र०

देवास,दिनांक 04.01.2019

पृ०क्रमांक 527 रीडर/2019

प्रतिलिपि -

1. वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल(सामान्य) देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

रीडर–टू कलेक्टर
जिला देवास (म. प्र.)

आवक क्रमांक 166

18/1/2019

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, देवास

देवास दिनांक 18.1.2019

पृ०क्र० 273/कार्य/वक-प्रकरण/2019/183

प्रतिलिपि :- अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग कमालों को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही शीघ्र सम्पादित हो यह सुनिश्चित करें।

18/1/2019

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग देवास

राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र

प्रकरण क्रमांक (0021/अ-19(3)/2017-18)

(2)

16-08-2018

प्रकरण राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक एम-3850/2018/देवास/भू.रा. दिनांक 06.08.2018 के संलग्न प्राप्त।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार देवास के द्वारा आदेशिका दिनांक 17.04.2018 से प्रतिवेदित किया गया कि पटपड़ी बांध के डुब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु आदेशिका दिनांक 23.03.2018 में अनुक्रमांक 2 पर ग्राम खटाम्बा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 97/1 व 97/2 टंकण त्रुटी से टंकित हुआ है, जबकि वास्तविक सर्वे क्रमांक 197/1 व 197/2 हैं। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्य समाधानकारक एवं मान्य किये जाने योग्य होने से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत इस प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19(3)/2017-18 में पारित आदेशिका दिनांक 23-03-2018 को पुनर्विलोकन में लिया जाकर आदेश में उल्लिखित अनुक्रमांक 2 ग्राम खटाम्बा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 97/1 व 97/2 के स्थान पर वास्तविक सर्वे क्रमांक 197/1 व 197/2 संशोधन किये जाने के लिए पुनर्विलोकन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल ग्वालियर को प्रेषित किया गया।

राजस्व मण्डल ग्वालियर की आदेशिका क्रमांक 3850/2018 दिनांक 24.07.2018/उज्जैन द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19(3)/2017-18 आदेशिका दिनांक 23.03.2018 के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गयी है।

अतः इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0021/अ-19(3)/2017-18 में पारित आदेशिका दिनांक 23-03-2018 को पुनर्विलोकन में लिया जाकर आदेश में टंकन त्रुटि से उल्लिखित अनुक्रमांक 2 ग्राम खटाम्बा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 97/1 व 97/2 के स्थान पर वास्तविक सर्वे क्रमांक 197/1 व 197/2 पढ़ा जावे, शेष आदेश यथावत रहेगा। इस आदेश पत्रिका को उक्त आदेशिका का भाग माना जावे।

आदेशिका प्रति वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल (सामान्य) देवास, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग देवास को भेजी जावे तथा प्रकरण तहसीलदार देवास को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कराने के उपरान्त एक सप्ताह की समय सीमा के अन्दर मूल प्रकरण इस न्यायालय को लोटावें।

कलेक्टर,
जिला देवास (म.प्र.)

प्रति,
तहसीलदार,
देवास

न्यायालय कलेक्टर, जिला देवास म0प्र0

पृ0क्रमांक 55 /रीडर/2018 देवास,दिनांक 16.08.2018

प्रतिलिपि:-

1. वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल(सामान्य) देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2930 24-8-18

पृष्ठ क्र : १

भूमि का ब्योरा हेक्टेयर में एंव करों का ब्योरा रुपये पैसों में

फार्म पी-II

तिथि : ३१/०१/२०१९ ००:५३

NIC-VER4-Basanti

160378308652

खसरा

ग्राम खटाम्बा | हल्का -५२ खटाम्बा | रा. नि. नं देवास ०१ | तहसील देवास. | जिला देवास | वर्ष २०१८-२०१९.

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात ५ वर्ष से अधिक		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१९७/२	१९.९२० शास. उर्जा विकास निगम भोपाल १.५३० फोरेस्ट रिजर्व १८.३९०	शासकीय									न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला देवास के प्र. क्र. [illegible] आ. दि. [illegible] के आदेशानुसार में भूमि रकबा १८.३९० हेक्टेयर भूमि वन विभाग को पटवारी [illegible] में [illegible] भूमि के [illegible] के लिए वन विभाग को हस्तांतरित होने से [illegible] किया ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
(1) [illegible]
(2) आवेदन [illegible] तारीख
(3) आवेदन [illegible] तारीख
(4) प्रमाणित फीस
(5) प्रथम प्रष्ठ 10 रु. [illegible]

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :

[illegible] एवं दिनांक :